रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2009/माघ 2, 1930
No. 12] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2009/MAGHA 2, 1930

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2009

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2009

सं. भाराराप्रा/12011/1/95-प्रशासन (भाग).—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2009 होंगे ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है) के विनियम 11 में, उप-नियम (3) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) समूह 'क' के अन्य पदों के लिए अध्यक्ष इसके पीठासीन अधिकारी होंगे और सदस्य (प्रशासन), महानिदेशक (सड़क विकास) अथवा उनके द्वारा नामित अपर महानिदेशक अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य प्रतिनिधि जिसका पद मुख्य अभियन्ता (मु.अ.) से नीचे का न हो तथा अध्यक्ष द्वारा नामित प्राधिकरण का अन्य सदस्य इसके सदस्य होंगे ।"

3. मूल विनियमावली की अनुसूची में,—

(क) महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद के सामने, कॉलम 8 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

8
"न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि से नियमित आधार पर उप-महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों की पदोन्नति द्वारा । भारत सरकार में निदेशक के पैनल में पहले से नामांकित अभ्यर्थियों से जिनकी शैक्षिक अर्हता कॉलम 7 में किए गए निर्धारण के अनुसार हो अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग, स्वायत्तशासी निकाय/सरकारी उद्यम में सदृश पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों से, अथवा 3700—5000 रुपए के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले अध्यर्थियों से अथवा उस संगठन में समकक्ष पद धारियों में से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा । राज्य के लोक निर्माण विभागों, राज्य सरकार के विभागों तथा राज्य सरकार के अधीन स्वायत्तशासी निकायों/सरकारी उद्यमों और अन्य संगठनों के अधिकारियों के लिए : (क) अधिकारी ने एई और उससे ऊपर के स्तर पर 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो; (ख) अधिकारी कार्यकारी अभियंता के रूप में नियमित आधार पर कम से कम 6 वर्ष कार्य कर चुका हो; और (ग) अधिकारी को अपने सेवा काल के दौरान राजमार्ग/सड़क/पुल का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो । प्रतिनियुक्ति की अवधि : 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी, लेकिन इसे केन्द्र सरकार के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है";

(ख) उप-महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद के सामने, कॉलम 8 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

8
"न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि से नियमित आधार पर प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों की पदोन्नति द्वारा । भारत सरकार के उप सचिव के पैनल में पहले से नामांकित अभ्यर्थियों जिनकी शैक्षिक अर्हता कॉलम 7 में किए गए निर्धारण के अनुसार हो अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग, स्वायत्तशासी निकाय/सरकारी उद्यम में सदृश पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों से, अथवा 3000—4500 रुपए के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले अभ्यर्थियों से अथवा उस संगठन में समकक्ष पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा । राज्य के लोक निर्माण विभागों, राज्य सरकार के विभागों तथा राज्य सरकार के अधीन स्वायत्तशासी निकायों/सरकारी उद्यमों और अन्य संगठनों के अधिकारियों के लिए : (क) अधिकारी ने एई/एईई के स्तर पर न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो; (ख) अधिकारी को उसके अपने सेवा काल के दौरान राजमार्ग/सड़क/पुल का कम से कम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए; (ग) अभ्यर्थी, कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत होना चाहिए । प्रतिनियुक्ति की अवधि : 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी, लेकिन इसे केन्द्र सरकार के अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है";

(ग) उप-महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) के पद के सामने, कॉलम 7 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

7
"**शैक्षिक अर्हता :** **अनिवार्य :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री (ii) व्यावसायिक अर्हता, जैसे : (क) भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान की अंतिम परीक्षा; अथवा (ख) भारतीय लागत लेखा और निर्माण कार्य लेखाकार संस्थान की अंतिम परीक्षा; अथवा (ग) प्रमुख विषय के रूप में वित्त सहित व्यावसायिक प्रबंधन में डिग्री; अथवा (घ) केन्द्र सरकार की किसी संगठित लेखा सेवा का सदस्य होना चाहिए । **अनुभव :** भारत सरकार अथवा किसी सरकारी उद्यम अथवा स्वयत्तशासी निकाय अथवा प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन की बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना से संबधित वित्त/लेखा विभाग में किसी जिम्मेदार पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए । **वांछनीय :** वित्तीय नियमों और विशेषत: बड़ी परियोजनाओं के लिए अपनाई जाने वाली लेखांकन प्रक्रियाओं विशेषत: निविदाओं के अनुमोदन, ठेकेदारों के दावों तथा ठेका संबंधी अन्य मामलों के संबंध में कार्यवाही करने में उसे दक्षता प्राप्त होना चाहिए ।";

(घ) उप महाप्रबंधक (योजना और सूचना प्रणाली) के पद के सामने कॉलम 7 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी; अर्थात् :—

7
"**शैक्षिक अर्हता :** **अनिवार्य :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री (ii) किसी विश्वविद्यालय/संस्थान/प्रतिष्ठित संगठन से कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/संचार प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से एमआईएस/आईटी एक मुख्य विषय के साथ एमबीए । **अनुभव :** किसी जिम्मेदार वरिष्ठ पद पर 9 वर्ष की सेवा जिसमें से कम से कम 2 वर्ष की सेवा इससे निचले ग्रेड में किसी सरकारी विभाग/स्वायत्तशासी निकाय/सरकारी उद्यम अथवा किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संस्था में परियोजना की योजना तैयार करने, प्रबंधन और नियंत्रण संबंधी कार्य में होनी चाहिए । **वांछनीय :** राजमार्ग इंजीनियरी/निर्माण अथवा सेवा परिवहन के किसी अन्य संबंधित विषय के साथ एमआईएस के क्षेत्र में लगभग 5 वर्ष का अनुभव हो ।";

(ङ) लेखा अधिकारी के पद के सामने कॉलम 7 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी; अर्थात् :—

(7)
"**शैक्षिक अर्हता :** **अनिवार्य :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री (ii) व्यावसायिक अर्हता, जैसे : भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान अथवा भारतीय लागत लेखा और निर्माण कार्य लेखाकार संस्थान की इंटरमीडिएट परीक्षा; अथवा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की एसएएस परीक्षा अथवा केन्द्र सरकार की अन्य संगठित लेखा सेवा के समान परीक्षा ।

IndiaCode

अनुभव :

केन्द्र सरकार के किसी विभाग/स्वायत्तशासी निकाय/सरकारी उद्यम अथवा किसी प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन में वित्त, वाणिज्यिक लेखांकन और बजट कार्य को संभालने का निचले पद अथवा समान पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो अथवा केन्द्र सरकार की किसी अधीनस्थ लेखा सेवा का सदस्य होना चाहिए ।

वांछनीय :

वित्तीय नियमों और विशेषत: बड़ी परियोजनाओं के लिए अपनाई जाने वाली लेखा प्रक्रियाओं विशेषत: निविदाओं के अनुमोदन, ठेकेदारों के दावों तथा ठेका संबंधी अन्य मामलों के संबंध में कार्यवाही करने में उसे दक्षता प्राप्त होना चाहिए ।";

(च) वित्तीय विश्लेषक के पद के सामने,–

(i) कॉलम 7 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

7
"अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : किसी प्रतिष्ठित संस्थान अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी/अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में डिग्री/मुख्य विषय के रूप में वित्त सहित प्रबंधन में डिग्री/वित्त में डिग्री/आईसीएआई/आईसीडब्ल्यूएआई । **अनिवार्य अनुभव :** (i) किसी सदृश पद पर कार्यरत होना चाहिए अथवा उससे निम्न पद (महाप्रबंधक/अधीक्षक अभियंता अथवा समकक्ष पद) पर नियमित आधार पर न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा होनी चाहिए; और (ii) समूह "क" (8000-275-13500 रुपए के वेतनमान में) अथवा समकक्ष स्तर के पद अथवा उच्चतर पद पर 18 वर्ष का अनुभव होना चाहिए; और (iii) वित्तीय/सांख्यिकी मूल्यांकन और बडे राजमार्ग/पुल संबंधी परियोजनाओं अथवा पत्तन, विमानपत्तन, पावर परियोजनाओं जैसी अन्य बड़ी अवसंरचना वाली परियोजनाओं के लागत अनुमान, वित्तीय व्यवहार्यता का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए । **वांछनीय अनुभव :** परिवहन अर्थशास्त्र अथवा बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए और पीपीपी परियोजनाओं का व्यापक मूल्यांकन संबंधी अनुभव होना चाहिए ।";

(ii) कालम 8 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

8
"खोज-सह चयन समिति के जरिए चयन: (1) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उद्यमों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) जो सदृश: पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जो 16400-400-20000 रुपये के वेतनमान अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; अथवा (iii) जो 14300-18300 रुपये के वेतनमान अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पदों पर छ: वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और उनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनिवार्य अनुभव होना चाहिए । अथवा (2) संविदा द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों में से नियुक्ति करना जिनके पास 18 वर्ष का अनुभव हो जिसमें से वित्तीय/सांख्यिकी मूल्यांकन और बडे राजमार्ग/पुल संबंधी परियोजनाओं अथवा पत्तन, विमानपत्तन, पावर परियोजनाओं जैसी अन्य बडी अवसंरचना वाली परियोजनाओं के लागत अनुमान, वित्तीय व्यवहार्यता का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए । **प्रतिनियुक्ति की अवधि :** चयन होने पर नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी जिसे संतोषजनक निष्पादन की शर्त पर सरकार के अनुमोदन से अगले 2 वर्ष तक बढाया जा सकेगा । अपेक्षित चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद अधिकारी की दूसरी बार नियुक्ति होने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।"

(छ) संविदा प्रबंधन विशेषज्ञ के पद के सामने,–

(i) कॉलम 7 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

7
"अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : किसी प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री अथवा विधि में डिग्री अथवा मुख्य विषय के रूप में वित्त सहित प्रबंधन में डिग्री **अनिवार्य अनुभव :** (i) किसी सदृश पद पर कार्यरत होना चाहिए अथवा उससे निम्न पद (महाप्रबंधक/अधीक्षक अभियंता अथवा समकक्ष पद) पर नियमित आधार पर न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा होनी चाहिए; और

Indiacode

(ii) समूह "क" (8000-275-13500 रुपए के वेतनमान में) अथवा समकक्ष स्तर के पद अथवा उच्चतर पद पर 18 वर्ष का अनुभव होना चाहिए; और

(iii) अवसंरचना वाली परियोजनाओं में संविदा प्रबंधन/वित्तीय मूल्यांकन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।";

(ii) कालम 8 में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

8
"खोज-सह चयन समिति के जरिए चयन: (1) न्यूनतम 6 वर्ष की अवधि से नियमित आधार पर महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर कार्यरत आंतरिक अभ्यर्थियों से जिनके पास कालम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो । अथवा (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उपक्रमों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा : (i) जो सदृश: पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों; अथवा (ii) जो 16400-400-20000 रुपये के वेतनमान अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; अथवा (iii) जो 14300-18300 रुपये के वेतनमान अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पदों पर छ: वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों; और उनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनिवार्य अनुभव होना चाहिए । अथवा (3) संविदा द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों में से नियुक्ति करना जिनके पास 18 वर्ष का अनुभव हो जिसमें से अवसंरचना वाली परियोजनाओं के संविदा प्रबंधन/वित्तीय मूल्यांकन का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए । और उनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए । **प्रतिनियुक्ति की अवधि :** चयन होने पर नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी जिसे संतोषजनक निष्पादन की शर्त पर सरकार के अनुमोदन से अगले 2 वर्ष तक बढाया जा सकेगा । अपेक्षित चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद अधिकारी की दूसरी बार नियुक्ति होने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।"

के. एस. मणि, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/122/2008/असा.]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना संख्या भाराराप्रा फा. सं 11012/46/2005-प्रशासन, तारीख 23 सितम्बर, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 23 सितम्बर, 2008 में किया गया ।

THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2009

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2009

No. NHAI/12011/1/95-Admn. (Pt.).—In exercise of the powers conferred by Section 35, read with Section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely: —

1. (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 11 of the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), in sub-regulation (3), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) to other Group 'A' posts, the Chairman shall be the Presiding Officer thereof and the Member (Admn.), the Director General (Road Development) or the Additional Director General nominated by him or any other representative not below the rank of Chief Engineer (CE) nominated by him and another Member of the Authority nominated by the Chairman shall be its members.".

3. In the Schedule to the principal regulations, -

(a) against the post of General Manager (Technical), in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

8
"By promotion : From candidates holding the post of Dy. G.M. (Tech.) on a regular basis for a period of at least 3 years. By Deputation/Transfer : From candidates already on the panel of Director in the Government of India and having the educational qualifications stipulated in Col. 7 or from candidates holding analogous posts in a Central/State Govt. Deptt., Autonomous Body/ Public Sector Undertaking or with 3 years regular service in the scale of Rs. 3700—5000 or equivalent in the organization. For officers of State PWDs, State Government Departments, Autonomous Bodies/PSUs and other organisations under State Government : (a) Officer should have completed 20 years service in the level of AE and above, (b) The officer should have worked for at least 06 years as Executive Engineer on a regular basis, and (c) The officer should have put in at least 10 years experience in Highway/Roads/Bridges during his career. Period of Deputation : Not more than 5 years but may be extended with the approval of the Central Government.";

(b) against the post of Deputy General Manager (Technical), in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

8
"By promotion : From candidates holding the post of a Manager (Tech.) on regular basis for a period of at least 4 years. By Deputation/Transfer : From candidates already on the panel of Dy. Secretary to the Government of India and having the educational qualifications stipulated in Col. 7 or from candidates holding analogous posts in a Central/State Govt. Deptt./ Autonomous Body/ Public Sector Undertaking or with 3 years regular service in the scale of Rs. 3000—4500 or equivalent in that organization. For officers of State PWDs, State Government Departments, Autonomous Bodies/ PSUs and other organisations under State Government : (a) Officer with a minimum 15 years service at the level of AE/AEE. (b) At least 8 years experience in Highways/Roads/ Bridges during his career. (c) Should be working as Executive Engineer. Period of Deputation : Not more than 4 years but may be extended with the approval of the Central Government.";

(c) against the post of Deputy General Manager (Finance and Accounts), in column 7, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

7
"Educational Qualification : **Essential :** (i) Degree of a recognized University. (ii) Professional Qualification, such as : (a) Final exam. of the Institute of Chartered Accountants of India; or (b) Final exam. of the Institute of Cost and Works Accountant of India; or (c) Degree in Business Management with Finance as the major subject; or (d) Member of any organized Accounts Service of the Central Government. **Experience :** Atleast 10 years service in a responsible position in the finance/accounts deptt. related to major infrastructural project of the Govt. of India or a Govt. Undertaking or an Autonomous Body or a Commercial Organization of repute. **Desirable:** Should be well versed with the Financial Rules and Accounting procedures to be followed for major projects in particular, approv. of tenders, processing of contractor's claims and oth. contractual matters.";

(d) against the post of Deputy General Manager (Planning and Information Systems), in column 7, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

7
"Educational Qualification : **Essential :** (i) A degree from a recognized University. (ii) Post graduate diploma in computer science/ information technology/communication technology from a University/Institute/ Organization of repute or MBA with MIS/IT as major subject from a Management Institute of repute. **Experience :** 9 years service in a responsible senior position of which atleast 2 years should be in the grade next below in work relating to project planning; Management and control in a Govt. Deptt./ Autonomous Body/PSU or Commercial Organization of repute. **Desirable :** Experience of about 5 years in the field of MIS, dealing with highway engineering/construction or any other allied form of service transport.";

Indiacode

(e) against the post of Accounts Officer, in column 7, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

7
"Educational Qualification : **Essential :** (i) Degree of a recognized University. (ii) Professional Qualification such as :— Intermediate Exam of the Institute of Chartered Accountants of India or the Institute of Cost & Works Accountant of India or SAS Exam of the Indian Audit & Accounts Service or equivalent exam of other Organized Accounts Service in the Central Government. **Experience :** At least 5 years experience in the lower or equivalent post involving handling of Finance, Commercial Accounting and Budget work in the Central Govt. Deptt./Autonomous Body/PSU or a commercial organization of repute or Member of any Subordinate Accounts Service of the Central Government. **Desirable:** Should be well versed with the Financial Rules and Accounting procedures to be followed for major projects in particular, approval of tenders, processing of contractor's claims and other contractual matters."; (f) against the post of Financial Analyst, — (i) in column 7, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

7
"Essential Educational Qualification : Degree in Civil Engineering /Economics/Statistics / Degree in Management with Finance as a major subject/Degree in Finance/ICAI/ICWAI from a reputed Institute or a recognized University. **Essential Experience :** (i) Should be working in an analogous post or the post next below (General Manager/Suptd. Engineer or equivalent) for atleast 6 years on a regular basis; and (ii) 18 years experience at Group 'A' (Pay scale of Rs. 8000-275-13500) or equivalent level post or higher; and (iii) 3 years experience in Financial/statistical assessment, and estimation of cost and financial viability of Major Highways/Bridge Projects or other major infrastructure projects like ports, airports, power projects. **Desirable Experience :** Transport economics or banking experience, experience in comprehensive appraisal of PPP projects."; (ii) in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

8
"Selection through Search-cum-Selection Committee : (1) By deputation from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions affiliated to Government of India or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies : (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years of regular service in the posts in the pay scale of Rs. 16400-400-20000 or equivalent; or (iii) with six years of regular service in the posts in the pay scale of Rs. 14300—18300/- or equivalent; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. OR (2) By contract from candidates having 18 years of experience of which minimum 3 years experience should be in Financial/Statistical assessment and estimation of cost and financial viability of Major Highways/Bridge Projects or other infrastructure projects like ports, airports and power projects; and possessing essential educational qualifications stipulated in column 7. **Period of deputation** Period of appointment on Selection shall be for an initial period of 3 years, extendable by two more years with the approval of the Government, subject to satisfactory performance. There shall be no bar to an officer getting a second term after going through the due process of selection."; (g) against the post of Contract Management Specialist, — (i) in column 7, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

7
"Essential Educational qualification : Degree in Civil Engineering or Law or Management with Finance as a major subject from a reputed Institution of Technology or a recognized University.

Essential Experience:

(i) Should be working in an analogous post or the post next below (General Manager/Suptd. Engineer or equivalent) for at least 6 years on a regular basis; and

(ii) 18 years experience at Group 'A' (Pay scale of Rs. 8000-275-13500) or equivalent level post or higher; and

(iii) Minimum 3 years experience in contract management/ financial appraisal in infrastructure projects.";

(ii) in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

8
"Selection through Search-cum-Selection Committee: (1) From internal candidates holding the post of a General Manager (Tech.) on a regular basis for a period of at least 6 years and possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. OR (2) By deputation from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions affiliated to Government of India or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies : (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years of regular service in the posts in the pay scale of Rs. 16400-400-20000 or equivalent; or (iii) with six years of regular service in the posts in the pay scale of Rs. 14300-18300 or equivalent; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. OR (3) By contract from candidates having 18 years of experience of which 3 years experience should be in contract management/financial appraisal in infrastructure projects and possessing essential educational qualifications stipulated in column 7. **Period of deputation** Period of appointment on Selection shall be for an initial period of 3 years, extendable by two more years with the approval of the Government, subject to satisfactory performance. There shall be no bar to an officer getting a second term after going through the due process of selection.".

K. S. MONEY, Member (Administration)

[ADVT. III/4/122/2008/Exty.]

Footnote: The principal regulations were published *vide* notification No. NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended *vide* notification No.NHAI F.No.11012/2005-Admn., dated 23rd September, 2008, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 23rd September, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.